न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—184/2015/223 आर.टी.एक्ट (2015/00056)

1. नारायण सिंह पुत्र कालूसिंह जाति राजपूत निवासी सरसडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. मदनसिंह पुत्र कालूसिंह जाति राजपूत निवासी सरसडी तहसील केकडी जिला, अजमेर। (फौत)
   1/1 भंवर सिंह पुत्र स्व0 मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सरसड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
   1/2 गोपाल कंवर पुत्री स्व0 मदनसिंह पत्नि गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सादोलिया माताजी तहसील मालपुरा जिला टोंक।
   1/3 मंजू कंवर पुत्री स्व0 मदनसिंह पत्नि रामसिंह जाति राजपूत निवासी धामण्यां तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 113/2013.

उपस्थितः—

1. श्री लोकेन्द्रसिंह, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02.

निर्णय

दिनांकः—05.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 113/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी केकडी के न्यायालय में प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के विरूद्ध ग्राम सरसडी तहसील केकडी जिला अजमेर में अवस्थित आराजी साबिक खाता संख्या 68 साबिक खसरा नम्बर 683के हाल खसरा नम्बर 1002 रकबा 1.89 हैक्टर बाबत प्रस्तुत किया। वाद दिनांक 2.7.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 6.8.2013 को नियत की गई। दिनांक 6.8.2013 से लेकर दिनांक 10.4.2015 तक पत्रावली प्रतिवादी की तलबी में चलती रही। दिनांक 10.4.2015 की आदेशिका में पत्रावली प्रतिवादी की तलबी में नियत होकर आगामी पेशी दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

12.6.2015 नियत की गई। दिनांक 12.6.2015 से पूर्व बिना वादी एवं प्रतिवादी को सूचना दिए पत्रावली में मोहर लगाई जाकर दिनांक 21.5.2015 की पेशी दी जाकर प्रकरण लोक अदालत के लिए नियत कर दिया गया एवं दिनांक 21.5.2015 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 समूह कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सरसडी द्वारा वादी का वाद बाबत घोषणा खातेदारी का अस्वीकार कर दिया गया। अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 113/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी केकडी ने वादी/अपीलांट का वाद, वाद निर्णित किए जाने की आवश्यक प्रक्रिया अपनाए बिना वादी का वाद खारिज कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। वाद दिनांक 2.7.2013 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादी की तलबी हेतु आगमी पेशी दिनांक 6.8.2018 नियत की गई। दिनांक 6.8.2013 से लेकर दिनांक 10.4.2015 तक पत्रावली प्रतिवादी की तामिली में लगातर चलती रही एवं दिनांक 10.4.2015 की आदेशिका अनुसार पत्रावली प्रतिवादी की तलबी हेतु नियत की जाकर आगामी पेशी दिनांक 12.6.2015 नियत की गई। दिनांक 10.4.2015 तक प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ एवं आगामी पेशी 12.6.2015 नियत की। दिनांक 12.6.2015 से पर्वू एक साईक्लोस्टाईल मोहर जिसमें वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित/अनुपस्थित बाबत जिक्र है लगाते हुए पत्रावली बिना सहमति के एवं बिना सूचना दिए दिनांक 21.5.2015 को लोक अदालत में रेफर कर दी गई एवं लोक अदालत की आदेशिका/निर्णय में भी वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति दर्शा दी गई जबकि वाद की पत्रावली की सम्पूर्ण आदेशिका जो कि अपील के साथ संलग्न हे में कही भी प्रतिवादी या उसकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसकी ओर से कोई जवाबदावा या वाद को खारिज किए जाने का कोई प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी का प्रस्तुत किया गया। बिना किसी जवाबदावे या प्रार्थना पत्र के उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने वादी/अपीलांट का वाद आवश्यक प्रक्रिया को अपनाए बिना अस्वीकार कर दिया। वादी का वाद लोक अदालत में नियत किए जाने बाबत वादी को सूचना नही दी गई जैसा कि वाद में आगामी पेशी दिनांक 12.6.2015 नियत थी। वादी को बिना सुनवाई का अवसर दिए वाद अस्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने वाद के साथ निर्णय न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर घोषणा खातेदारी का वाद लेकर आया था और ऐसे वाद को सुनने एवं निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है तथा उक्त वाद में जवाबदावा आने के पश्चात आवश्यक तनकीयात कायम की जाकर दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जाकर ही निर्णित किया जा सकता था। प्रतिवादी की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही उसके और से कोई जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । यदि उपखण्ड अधिकारी केकडी इस बिंदु बाबत सहमत नहीं थे तो इस बिंदु पर पहले वे प्राथमिक तनकी कायम कर उस पर साक्ष्य लेकर एवं सुनवाई कर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उपरोक्त बिंदु को तय करते हुए वाद निर्णित करते। वाद निर्णित किए जाने की आवश्यक प्रक्रिया को अपनाए बिना ही सरसरी तौर पर निर्णय अंतर्गत अपील द्वारा वाद वादी खारिज कर उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। सर्वप्रथम तो प्रतिवादी या उसकी और से कोई उपस्थित नहीं था और ना ही उसका कोई वाद खारिज किए जाने का कोई प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी के तहत प्रस्तुत किया गया था यदि वाद बार्ड बाई लॉ था या न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं था तो ऐसा वाद केवल आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी के प्रावधानों के तहत प्राथमिक तनकी बनाकर उस तनकी पर ही निर्णित किया जा सकता था परंतु ऐसा नहीं कर उपखण्ड अधिकारी केकडी ने कानूनी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, केकडी का यह मानना कि वादी का वाद अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर है जबकि वादी का सम्पूर्ण वाद को देखा जाए तो उसका वाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा का था एवं उक्त बिंदु पर उसका कितने वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। यह सम्पूर्ण तथ्य साक्ष्य आने के पश्चात कानून एवं तथ्यात्मक मिश्रित तनकी बनाते हुए ही निर्णित किए जा सकते थे। उपखण्ड अधिकारी केकडी ने वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। उपखण्ड अधिकारी केकडी का आदेश 20 नियम 4 व 5 के रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 113/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2015 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांतों को पेश किया है– आर0आर0टी 2011 पार्ट (2) पेज 721, डी0एन0जे0 2012 पार्ट (3) पेज 1705.

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वादी ने अनरजिस्टर्ड दस्तावेजों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का दावा पेश किया है, व अपंजीकृत दस्तावेजों को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। वादी ने अपने वादपत्र में मिथ्या कथन कहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी पत्रावली का अवलोकन किया गया व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी यह अपने निर्णय दिनांक 21.5.2015 में यह कथन किया गया कि उक्त अविधिक दस्तावेजों को सुनने का अधिकार नहीं होने से वादी का वाद वास्ते घोषणा बाबत खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन वादी/अपीलांट यह उज्र है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र को दिनांक 2.7.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 6.8.2013 को नियत की गई। दिनांक 6.8.2013 से लेकर दिनांक 10.4.2015 तक पत्रावली प्रतिवादी की तलबी में चलती रही। दिनांक 10.4.2015 की आदेशिका में पत्रावली प्रतिवादी की तलबी में नियत होकर आगामी पेशी दिनांक 12.6.2015 नियत की गई। बिना वादी को सूचना दिए दिनांक 21.5.

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2015 की पेशी दी जाकर प्रकरण लोक अदालत के लिए नियत कर दिया गया एवं दिनांक 21.5.2015 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 समूह कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सरसडी द्वारा वादी का वाद बाबत घोषणा खातेदारी का अस्वीकार कर दिया गया, जो निरस्त योग्य है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/3 का कथन है कि वादी ने अनरजिस्टर्ड दस्तावेजों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का दावा पेश किया है, व अपंजीकृत दस्तावेजों को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। वादी ने अपने वादपत्र में मिथ्या कथन कहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.5.2015 में यह कथन किया गया कि उक्त अविधिक दस्तावेजों को सुनने का अधिकार नहीं होने से वादी का वाद वास्ते घोषणा बाबत खारिज किया गया है, इसलिए अपीलांट की अपील को खारिज किया जावें। हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन से हम यह समझते हैं कि उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने वादी/अपीलांट का वाद निर्णित किए जाने की आवश्यक प्रक्रिया अपनाए बिना ही वाद को खारिज कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत व नैसर्गिक न्याय के विपरीत आदेश पारित किया है, जब कि न्याय का सिद्धांत है कि लोक अदालत में केवल वही निर्णय निर्णित किए जा सकते हैं जिसमें उभयपक्षकारान की सहमति/राजीनामा हो परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिंदु को दरकिनार करते हुए निर्णय पारित किया है। प्रिमेच्योर दावे को खारिज करना काश्तकारों का समय व धन दोनो का अपव्यय करता है, जबकि दावे में जवाब दावा लेकर तनकी बनाकर प्रकरण का विनिश्चिय किया जाना था। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2015 को निरस्त कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर,तनकी पर उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः तनकीवार निर्णय पारित करे।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 113/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2015 को निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उक्त प्रकरण में जवाबदावा लेकर तनकी बनाकर, तनकीयात कायम कर,तनकी पर उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः तनकीवार निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर